

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 3808 वर्ष 2026**

वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह) लखनऊ

.....विरोधी पक्षकारगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : विश्वनाथ तिवारी, बृजेश कुमार पांडेय, कौशल तिवारी

विरोधी पक्षकारगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 40 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 60/72 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम तथा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में, उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक के पास शराब बेचने हेतु आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस है। वे आगे कथन करते हैं कि पुलिसकर्मियों सहित स्थानीय सरकारी अधिकारी आवेदक पर निःशुल्क विदेशी शराब उपलब्ध कराने हेतु दबाव बना रहे थे तथा प्रारंभिक स्तर पर, वह उन्हें सुविधा प्रदान कर रहा था, किंतु बाद में, उसने इससे इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप, नाराजगी के कारण, ग्रेनेड तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अवैध शराब की झूठी बरामदगी दर्शाकर उसे वर्तमान मामले में फंसा दिया गया। वे अगला कथन करते हैं कि गिरफ्तारी/बरामदगी मेमो पर किसी स्वतंत्र चशमदीद गवाह के हस्ताक्षर नहीं लिये गये तथा आवेदक की गिरफ्तारी के संबंध में किसी परिजन को सूचना भी नहीं दी गई। वे यह भी कथन करते हैं कि आवेदक को पूर्व में 29 मामलों में फंसाया गया था, अधिकांश मामले या तो पुलिसकर्मियों द्वारा दर्ज कराये गये थे अथवा उसे संस्वीकृति कथन के आधार पर फंसाया गया है, तथा 19 मामलों में, वह पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है, शेष मामलों में, वह जमानत पर है। अंत में वे कथन करते हैं कि आवेदक दिनांक 4.03.2026 से जेल में है, वह विवेचना में सहयोग करने को तैयार है तथा इस स्तर पर अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि आवेदक को झूठा फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है तथा ग्रेनेड एवं अवैध शराब की बरामदगी के उपरांत, मेमो तैयार किया गया और तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, इसके पश्चात, उसे जेल भेजा गया।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के कथनों पर विचार करते हुए तथा जमानत प्रार्थना पत्र की अंतर्वस्तु एवं अन्य सुसंगत सामग्री का अवलोकन करने पर, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदक की संलिप्तता अनेक मामलों में दर्शाई गई तथा इससे प्रकट होता है कि उसे संस्वीकृति कथन के आधार पर इतने सारे मामलों में फंसाया गया। अधिकांश प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गई थीं। आवेदक दिनांक 4.03.2026 से जेल में है। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग तीन माह पहले ही व्यतीत हो चुके हैं। अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः, यह जमानत हेतु उपयुक्त मामला है।

7. जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक - वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक निजी मुचलका तथा उतनी ही धनराशि की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :

(1) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसका वह अभियुक्त है, या संदिग्ध है, अथवा जिसके कारित किये जाने का वह संदिग्ध है।

(2) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(3) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त का पालन न होने की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(4) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए आई.पी.सी./269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(5) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 सी.आर.पी.सी./84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तब विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-ए आई.पी.सी./209 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(6) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप विरचन; तथा (3) धारा 313 सी.आर.पी.सी./351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

(7) आवेदक किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा और न ही कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10 जून, 2026

अर्पण

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।